न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम, सहारनपुर।
पीठासीन अधिकारी– श्री श्रेय शुक्ला, उच्चतर न्यायिक सेवा।
J.O. Code– UP3845
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–2186/2026
CNR NO– **UPSP010057352026**

1. मोहित उर्फ मोनू पुत्र महिपाल
2. बबली पत्नी महिपाल
3. मोनिका पुत्री महिपाल

निवासीगण ग्राम अबाबकपुर मिर्जापुर, थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी।

मु0 अ 0 सं0–89/2026
धारा–75(2), 351(2)भा०न्याय सं० व
67(ए) आई.टी.एक्ट।
थाना–मिर्जापुर, जिला–सहारनपुर।

08.06.2026

आवेदक/अभियुक्तगण **मोहित उर्फ मोनू, बबली व मोनिका** द्वारा अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत हेतु यह प्रथम आवेदन है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद अथवा अन्य किसी भी न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इसप्रकार है कि प्रार्थी की पुत्री आरती की शादी दिनांक 12.03.2026 को अनुप सिंह ग्राम इस्लामनगर के साथ हुई थी। किन्तु विपक्षी मोहित उर्फ मोनू शादी से पहले भी प्रार्थी की पुत्री आरती को फोन करके परेशान करता था और जहां भी मेरी पुत्री आरती विपक्षी को मिल जाती थी तो विपक्षी उसके साथ छेड़छाड़ करता था। विपक्षी को पहले प्रार्थी ने कई बार समझाया और उसके घर वालो को भी कई बार इसकी शिकायत भी की किन्तु इसके घर वाले भी प्रार्थी के साथ लडाई–झगडे पर उतारू होते है। अब प्रार्थी की पुत्री की शादी होने के बाद भी विपक्षी और उसके दोस्त व मोनिका, बबली प्रार्थी की पुत्री आरती व प्रार्थी के जमाई को फोन पर भी बार–बार धमका रहे है। जिनकी फोन में रिकार्डिंग भी है जो कह रहे है कि तेरे हमारे पास सैक्सी वीडियो व फोटो है। यदि हमारे साथ संबंध नहीं बनाती है तो तेरे वीडियो, फोटो वायरल कर देंगे, जिससे तू कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी और प्रार्थी के जमाई को भी फोन करके धमकी दे रहे हैं कि तेरी पत्नी आरती की वीडियो, फोटो हमारे पास है या तो इसको छोड़ दे नहीं तो इन फोटो, वीडियो को वायरल कर देंगे। प्रार्थी और गांव वालो ने विपक्षीगणों के आगे हाथ पैर जोड लिये है किन्तु विपक्षीगण कहते है कि तेरी लड़की को छुडवा कर ही मानेंगे और बार–बार फोन कभी किसी फोन से कभी किसी फोन से और उसके दोस्त भी पूरा–पूरा दिन फोन करके उल्टी–सीधी धमकी देते हैं कि हमारे साथ संबंध बना नहीं तो वीडियों, फोटो वायरल कर देंगे। इन विपक्षीगणकी बात न मानने पर विपक्षीगणों ने प्रार्थी की लड़की की फोटो व वीडियों मो० नं० 9259794432, 9286822782, 9548058431 वायरल कर दिये है, जिससे प्रार्थी की लड़की व प्रार्थी के पूरे परिवार की समाज में काफी बेईज़्ज़ती हो रही है। अतः कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से बहस की गयी है कि प्रार्थी बेगुनाह है तथा उसे उपरोक्त

मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी द्वारा कोई अपराध किसी प्रकार से नहीं किया गया है। प्रार्थी ने उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थीगण को गांव की पार्टीबाजी के आधार पर झूठा अभियुक्तगण बनाये है। जबकि असल तथ्य है कि प्रार्थी/अभियुक्त मोहित एक 40 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति है, जिसको वादी मुकदमा की पुत्री अंजना ने अपनी चिकनी–चुपड़ी बातों में लेकर उससे शादी का झांसा देकर 10,50,000/– रूपए ठग लिए है तथा एक रियल–मी का मोबाईल तथा सोने–चांदी के जेवरात हडप कर रखे हैं जब प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने उपरोक्त रूपए व सोनो–चांदी के जेवरात वापस मांगे तो वादी मुकदमा व उसकी पुत्री ने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी तथा दिनांक 18.01.2026 को नाजायज 2,50,000/– रूपयों की मांग फोन पर की तथा प्रार्थीगण द्वारा मना करने पर उपरोक्त मुकदमा रंजिशन लिखा दिया है। प्रार्थी ने उपरोक्त घटना के संबंध में प्रार्थी ने एक प्रा० पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं डी.आई.जी. एवं मानवाधिकार आयोग लखनऊ में प्रा० पत्र दिये थे तथा एक जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत की थी जिन सभी की छायाप्रति व रजिस्टरी रसीद की छायाप्रति साथ संलग्न है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण सम्मानित परिवार से है तथा प्रार्थीगण सं. 2 व 3 महिला है जिनके जेल में रहने से भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः प्रार्थी द्वारा अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में गलत कथन किये गये हैं। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया।

थाना से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकन किया।

केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा दी गयी तहरीर/प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक/अभियुक्तगण विरूद्ध अंतर्गत धारा–75(2),351(2) भारतीय न्याय संहिता एवं 67(ए) आई.टी. एक्ट में पंजीकृत हुई।

पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली के अवलोकन से आवेदक/अभियुक्तगण पर वादिया/पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें/छेड़छाड़ करते हुए पीड़िता को उसके अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देने व उक्त फोटो व वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने का आक्षेप है। आवेदक/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। केस डायरी पर उपलब्ध पीडिता ने अपने बयान अंतर्गत धारा–180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा बयान अंतर्गत धारा–183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में तहरीर का समर्थन किया है। प्रस्तुत प्रकरण में घटना दिनांक 12.03.2026 का होना अभिकथित है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 28.03.2026 को दर्ज करायी गयी है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास होना अभिकथित नहीं है। प्रस्तुत मामला सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं दर्शाया गया है और ना ही ऐसा कोई आधार प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवेदक/अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया जाना आवश्यक है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि–व्यवस्था **Satendra Kumar Antil vs CBI and others 2023 LL (SC) 233** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

> It is the duty of public prosecutor also to plead correct legal position before the Court as officers of the Court. We would like to clarify that what we have enunciated qua bail would equally apply to anticipatory bail cases. Anticipatory bail after all is one of the species of a bail.

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उक्त विधि–व्यवस्था में पारित किये गये आदेश के

अनुपालन में तथा मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये तथा मामले के गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, आवेदक/आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने हेतु पर्याप्त आधार है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण **मोहित उर्फ मोनू, बबली व मोनिका** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सशर्त स्वीकार किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि प्रत्येक आवेदक **अंकन 50,000/– रू०** का एक–एक व्यक्तिगत बन्धपत्र और इसी धनराशि का एक–एक प्रतिभू, सम्बन्धित थानाध्यक्ष की संस्तुति के अनुरूप अन्दर **15 दिन** प्रस्तुत करने पर, पुलिस रिपोर्ट अंतर्गत 193 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यदि सम्बन्धित न्यायालय में दाखिल की जाती है, तो उस समय तक के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जायेः–

1. आवेदक/अभियुक्त पुलिस जांच अधिकारी/विवेचक द्वारा अपेक्षा किये जाने पर पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध करायेगा और अन्वेषण में पूर्ण सहयोग करेगा।

2. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस अपराध से सम्बन्धित तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

3. आवेदक/अभियुक्त सम्बन्धित न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना देश से बाहर नहीं जायेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लघंन किये जाने पर सम्बन्धित विवेचक आवेदक/अभियुक्त अग्रिम जमानत निरस्त कराये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित थानाध्यक्ष/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के माध्यम से अविलम्ब प्रेषित की जाये।

दिनांक–08.06.2026

(श्रेय शुक्ला)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, प्रथम
सहारनपुर।
(J.O. Code– UP3845)

Digitally signed by Shrey Shukla
Date: 2026.06.10 10:52:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court